

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियमन, 1955

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1956)

**THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION)
ACT, 1955**

(U.P. Act No. III of 1956)

उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955¹

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1956)

उ० प्र० अधिनियम संख्या 42, 1958
उ० प्र० अधिनियम संख्या 27, 1974
उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1977
उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1986
उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1989
उ० प्र० अधिनियम संख्या 32, 1995
उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 2001
उ० प्र० अधिनियम संख्या 27, 2009
उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 2018
उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 2021
उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2026

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1954 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1955 ई० की बैठक में स्वीकृत किया]

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 10 जनवरी, 1956 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 23 जनवरी, 1956 ई० को प्रकाशित हुआ।]

चल चित्र यंत्र [और वीडियो]² द्वारा प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था करने का

अधिनियम

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में चल चित्र यंत्र [और वीडियो]³ द्वारा प्रदर्शन के विनियमन की व्यवस्था की जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम
प्रचार और प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा कि जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति⁴ प्रकाशित करके निश्चित करे।

2—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर—

परिभाषाएं

⁵[(क) “अपीलीय प्राधिकारी” का तात्पर्य राज्य सरकार से होगा जब अपील इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध की गयी हो और जब अपील जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के विरुद्ध की गयी हो तो मण्डलायुक्त से होगा।]

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए 5 सितम्बर, 1954 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1986 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1986 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

4. यह विज्ञप्ति सं० 1633-ए/3-7(47)—52 दिनांक 23 जून, 1956 द्वारा दिनांक 25 जून, 1956 को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रचलित हुआ।

5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 2(क) द्वारा पुनःसंख्याकित एवं प्रतिस्थापित।

(क-1) "सक्षम प्राधिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सृजित या स्थापित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण से है, जो अपनी अधिकारिता के अधीन भूमि पर प्राधिकार का प्रयोग करता है और उसके पास ऐसी अचल सम्पत्ति के विकास के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्तियां हैं।

(क-2) "मनोरंजन" में कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, आमोद, खेल, क्रीडा (घुड़दौड़ सहित), डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाएं, केबिल सेवाएं, चलचित्र, डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन जिसमें व्यक्तियों का प्रवेश भुगतान के माध्यम से किया जाता है, सम्मिलित है और चलचित्र तथा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन के मामले में वृत्त चित्र के प्रदर्शन के पूर्व या उसके दौरान या पृथक रूप से समाचार-फिल्म, वृत्त-चित्र, कार्टून, विज्ञापन, लघु फिल्म तथा स्लाइड्स सम्मिलित हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मनोरंजन के रूप में अधिसूचित कोई क्रियाकलाप भी सम्मिलित है,

(क-3) "वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन" का तात्पर्य किसी पूर्व रिकार्डेड कैसेट या अन्य युक्ति द्वारा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाय या वीडियो कैसेट प्लेयर या किसी अन्य साधित्र द्वारा चाहे जिस भी नाम से जाना जाये, सचल चित्रों या चित्रों की श्रृंखला को, चाहे टेलीविजन के सेट की स्क्रीन पर या वीडियो स्कोप या अन्यथा पर, प्रवेश के लिये भुगतान लेकर जनता के लिए या जनता में प्रदर्शन करने से है;

(क-4) "मिनी सिनेमा" का तात्पर्य 125 के बैठने के स्थान की क्षमता वाले किसी स्थाई भवन में चलचित्र प्रदर्शन या डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त एकल स्क्रीन सिनेमा से है।

(क-5) "मल्टीप्लेक्स" का तात्पर्य एक ही परिसर के भीतर वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और अन्य मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के साथ दो या दो से अधिक सिनेमाहालों का समूह या समुच्चय से है;¹

(ख) "अध्यासों" (Occupier) के अन्तर्गत प्रबंधक अधिकर्ता (Managing agent) अथवा अध्यासों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकृत अथवा उसकी ओर से स्थान का अवधान (Charge), प्रबंध अथवा नियंत्रण रखने वाला अन्य व्यक्ति है;

(ग) "स्वामी" के अन्तर्गत, जब यह किसी स्थान के अभिदेश में हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अध्यासी से किराया पाता हो अथवा उसके पाने के अधिकार रखता हो ;

(घ) "स्थान" के अन्तर्गत गृह, इमारत, खेमा अथवा अन्य कोई ढांचा (Structure) तथा किसी भी प्रकार का परिवहन (Transport) चाहे कुछ भी हो, है ;

(ङ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है; तथा

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

(च-1) [x x x x]²

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित (पूर्व में उ०प्र० अधिनियम सं० 27, 2009, उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्यांकित किया गया)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 7, 2018 की धारा 2(ख) द्वारा निकाले गये।

"(च-2)[^{x x x}]¹

2[(छ) "वीडियो" का तात्पर्य किसी ऐसी प्रणाली से है चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, जिसमें [वीडियो कैसेट से या किसी अन्य यन्त्र में]³ रिकार्डिंग के माध्यम से परिष्ण करना या सीधे ध्वनि के साथ या ध्वनि के बिना दृश्य छायाओं को चलाना।]

3[(ज) "वीडियो पुस्तकालय" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, जहां वीडियो कैसेट या किसी अन्य यंत्र में, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय में रिकार्ड की गयी चलने वाले चित्रों अथवा चित्रावलियों को बेचने या किराये पर देने या वितरण या विनियम करने या चाहे किसी भी प्रकार से परिवर्तन में लाने का कारोबार किया जाता हो।"]

"(झ) इस अधिनियम में उपरिभाषित किन्तु [x x x x]⁴ केबिल टेलीविजन नेटवर्क 5[(विनियमता अधिनियम, 1995 में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियमों में समनुदेशित है।]

6[3—इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति इस अधिनियम लाइसेंस के अधीन लाइसेंस प्राप्त स्थान से भिन्न स्थान पर या ऐसे लाइसेंस द्वारा अधिरोपित शर्तों और निबन्धनों के अनुपालन के अलावा,—

(क) चलचित्र [या डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, या]⁷

(ख) वीडियो द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ग) वीडियो पुस्तकालय नहीं रखेगा, या

(घ) [x x x x]⁸

10[4—इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति रखने वाला लाइसेंस प्राधिकारी जिसे एतत् पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा;

परन्तु राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए [राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित किसी अधिकारी को]⁹ इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी की ऐसी शक्तियां, जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करें, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ-साथ या उसे अपवर्जित करते हुए प्रदान कर सकती है:

परन्तु यह और जहां ऐसी कोई शक्तियां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और [इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी]¹⁰ द्वारा साथ-साथ प्रयोक्तव्य हो, वहां उनमें से प्रत्येक अधिकारी अपने द्वारा पारित समस्त आदेशों की सूचना एक दूसरे को देता रहेगा उनके मध्य किसी विषय पर भिन्न राय होने की दशा में राज्य सरकार को संदर्भित किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 2(ख) द्वारा निकाला गया (उ0प्र0 अधिनियम सं0 27, 2009 द्वारा बढ़ाया गया)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 2009 की धारा 2 (घ) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 2001 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 2(ग) द्वारा निकाला गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 2009 की धारा 2 (ङ) द्वारा बढ़ाया गया।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 2009 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1986 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया)।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 3(ख) द्वारा निकाला गया।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
10. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1977 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

¹[4-क (1) कोई मनोरंजन, जिस पर कर उदग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान मनोरंजन करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आयोजित करने पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा।

**मनोरंजन
आयोजित करने
की अनुमति**

(2) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मनोरंजन की अनुमति स्वयं का यह समाधान हो जाने के पश्चात दे सकता है कि उस स्थल, जहां पर मनोरंजन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, विद्युत और अग्नि सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा हेतु समुचित सावधानी बरती गयी है ताथ वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा और अन्य विद्युत स्थापनाओं की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे मनोरंजन के आयोजन को रोक सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि—

(क) स्वामी ने कोई मिथ्या सूचना दी है, जिसके परिणाम स्वरूप करापवंचन सम्भावित हो;

(ख) स्वामी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध को भंग किया हो या उसके द्वारा भंग किया जाना संभावित हो, या

(ग) मनोरंजन आयोजित किये जाने से लोक सुरक्षा दी है, जिसके शिष्टता या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो :

परन्तु इस धारा में कोई बात डायरेक्ट टू होम, केबिल सेवाओं और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्त सभी मनोरंजनों पर लागू नहीं होगी।

¹[4-ख (1) धारा 3 क में यथा उपबन्धित मनोरंजन हेतु अपेक्षित अनुज्ञप्ति, लाइसेंस अनुज्ञापन और प्राधिकारी द्वारा अनधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है।

**अनुज्ञापन और
अनुमति से
संबंधित उपबंध**

(2) धारा 4 क में यथा उपबन्धित अनुमति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन-पत्र में यथा उल्लिखित पांच वर्ष से अनधिक की अपेक्षित अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है।

(3) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर ऐसी रीति से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, लाइसेंस या अनुमति प्रदान करेगा या प्रदान करने से इन्कार करेगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस या अनुमति प्रदान की गयी समझी जायेगी।

²[(4) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय (यदि कोई हो) के साथ अपना आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा/करेगी। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो लाइसेंस या अनुमति तीस दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जायेगी और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदक उक्त लाइसेंस या अनुमति विभागीय वेब पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता/सकती है:

परन्तु यदि लाइसेंस या अनुमति तथ्यों के दर्यपदेशन अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो ऐसा लाइसेंस या अनुमति अकृत और शून्य समझी जायेगी और उसे लाइसेंस प्राधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 2021 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

5—(1) लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन तय तथा लाइसेंस नहीं देगा जब तक कि यह निम्नांकित के विषय में संतुष्ट न हो कि—

लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के अधिकारों पर निरोध

(क) इस अधिनियम के अधीन बने नियम तत्त्वसः (Substantially) अनुपालन किये गये हैं, तथा

[(कक) भवन या वह अन्य स्थान जहां चल चित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हो—

(1) राजभवन, राज्य सरकार के सचिवालय, उच्च न्यायालय से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।]¹

(2) [****]²

(3) [****]³

(ख) उस स्थान में, जिसके निमित्त लाइसेंस देना है, प्रदर्शन देखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपर्युक्त पूर्वावधान (Precaution) रखे गये हैं;

(खख) [****]⁴

[(ग) लाइसेंस का दिया जाना अन्यथा लोकहित के प्रतिकूल नहीं है।]⁵

[स्पष्टीकरण—1 [****]⁶

[स्पष्टीकरण—2 खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए दूरी, चलचित्र के भवन के हाते की बाहरी सीमा से, उक्त खण्ड में उल्लिखित अन्य भवन के हाते की, यदि कोई हो, बाहरी सीमा तक नापी जायगी।]⁷

[टिप्पणी—सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मीटर—किलोग्राम—सेकेण्ड (एम0के0एस0) प्रणाली प्रदान किया जायेगा।]⁸

(2) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन तथा राज्य सरकार नियंत्रण एवं सामान्य जनता के हित का पालन करते हुए लाइसेंस प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रतिबंधों और ऐसी शर्तों पर और ऐसे निरोधों के अधीन जिन्हें वह अवधारित करे तथा ऐसा शुल्क देने पर जो नियत किया जाय, लाइसेंस दे सकता है।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 6क(i) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपरोक्त की धारा 6क(ii) द्वारा निकाला गया।

3. उपरोक्त की धारा 6क(ii) द्वारा निकाला गया।

4. उपरोक्त की धारा 6(ख) द्वारा निकाला गया।

5. उपरोक्त की धारा 6 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 6(ग) द्वारा निकाला गया।

7. उपरोक्त की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाया गया।

8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 2 (ग) द्वारा बढ़ाया गया।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस न देने के निर्णय से क्षुब्ध (aggrieved) कोई भी व्यक्ति, उस अवधि के भीतर जो नियत की जाय, [अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है और अपील प्राधिकारी]¹ इस मामले में ऐसी आज्ञा दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

(4) किसी फिल्म अथवा फिल्म वर्ग के प्रदर्शन के विनियमन के प्रयोजन से राज्य सरकार समय-समय पर सामान्यतया लाइसेंस गृहीताओं को अथवा किसी विशेष लाइसेंस गृहीता को ऐसे आदेश दे सकती है जिससे वैज्ञानिक फिल्मों, शिक्षार्थ फिल्मों (Films intended for educational purposes) तथा समाचारों एवं वर्तमान घटनाओं से संबद्ध फिल्मों, वर्णनात्मक फिल्मों (Documentary films) एवं स्वदेश में निर्मित फिल्मों (Indigenous films) के प्रदर्शन को उपयुक्त अवसर प्राप्त हो तथा जब भी कोई आदेश जारी किये जाये तो उनके विषय में यह समझा जायेगा कि ये उन शर्तों और निरोधों (Conditions and restrictions) के अतिरिक्त (Additional) हैं जिनके अधीन लाइसेंस दिया गया था।

6—(1) यदि राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जैसी भी दशा हो, राय हो कि किसी फिल्म से, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन हो रहा है, शांति भंग होने की संभावना है तो राज्य सरकार, समस्त उत्तर प्रदेश अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अधीन जिले के सम्बन्ध में, आज्ञा देकर फिल्म के प्रदर्शन को स्थगित (Suspend) कर सकते हैं। तत्पश्चात् ऐसे स्थगन काल में राज्य, उसके भाग अथवा संबंधित जिले के भीतर, सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, 1952 के अधीन दिये गये सर्टीफिकेट के होते हुए भी, फिल्म में प्रदर्शित नहीं की जायगी।

राज्य सरकार
अथवा डिस्ट्रिक्ट
मजिस्ट्रेट का कुछ
मामलों में फिल्म
का प्रदर्शन स्थगित
करने का
अधिकार
1952 का
अधिनियम संख्या
37

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट [XXX]² द्वारा दी जाये तो उसकी एक प्रति तत्संबंधी कारणों के विवरण सहित उसके द्वारा राज्य सरकार को तुरन्त भेजी जायेगी जो उस आज्ञा को पुष्ट अथवा उत्सर्जित (Confirm or discharge) कर सकती है।

(3) इस धारा के अधीन दी गयी स्थगन की आज्ञा, उसके दिनांक से दो माह तक प्रचलित रहेगी, किन्तु यदि राज्य सरकार की राय में उसका जारी रहना आवश्यक हो तो राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि स्थगन आगे ऐसी अवधि तक, जिसे वह उचित समझे, बढ़ा दिया जायगा।

³[6-क (1) लाइसेंस प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी सहायता से, जो आवश्यक हो, किसी ऐसे स्थान में जिसका प्रयोग सामान्यतया चल-चित्र यंत्र या वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिये या [वीडियो लाइब्रेरी]⁴ रखने के लिये किया जाता हो या जिसका इस प्रकार प्रयोग किये जाने का संदेह हो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, किसी भी युक्ति युक्त समय पर प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है [और ऐसे फिल्मों और वीडियो के सेटों को जो उसका उल्लंघन करके प्रदर्शित करते हुए व रखे गए पाए जाए, श्रमिग्रहित कर सकता है।]⁵

निरीक्षण

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1995 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1998 की द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या 9 द्वारा निकाला गया।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1986 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 7क द्वारा प्रतिस्थापित (पूर्व में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 27, 2009 द्वारा वीडियो पुस्तकालय या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी रखा गया था)।

5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1995 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी ऐसे व्यक्ति से जिस पर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का संदेह हो, अपना नाम और पता तुरन्त बताने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या बताने में विफल रहे या यदि अधिकारी को उस पर मिथ्या नाम और पता बताने का समुचित सन्देह हो तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है और निकटतम पुलिस थाने में निरुद्ध कर सकता है या करा सकता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 के उपबन्ध लागू होंगे।¹

[4] उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी को [चलचित्र या डिजीटल प्रोजेक्शन सिस्टम या वीडियो]² द्वारा किसी ऐसे प्रदर्शन को जो धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया जा रहा हो, रोकने की शक्ति होगी और वह इस प्रयोजन के लिये उतने न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जितना वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे।³

⁴[(5) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत प्रत्येक फिल्में या वीडियो कैसेट यथाशीघ्र, अधिकारिता युक्त न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा तो उसको समुचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे;

(6) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत फिल्में और वीडियो कैसेट अधिकारितायुक्त न्यायालय के किसी आदेश द्वारा जब्त की जा सकेंगी; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक अभिग्रहण के दिनांक से एक मास का समय व्यतीत न हो जाए, और ऐसे किसी व्यक्ति को जो उस पर किसी अधिकार का दावा करें, सुन न लिया जाये और साक्ष्य पर, यदि कोई हो, जिसे यह अपने दावे के सम्बन्ध में प्रस्तुत करे, विचार न कर लिया जाय, तब तक जब्ती का कोई आदेश नहीं किया जाएगा।⁴

7—[(1) इन अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 5 के अधीन कोई लाइसेंस दिया गया हो, तो उसे—

(1) राज्य सरकार द्वारा, जहां लाइसेंस सरकार ने या लाइसेंस प्राधिकारी ने दिया हो।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, जहां लाइसेंस ऐसे प्राधिकारी ने दिया हो, लोकहित में निरस्त किए जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

(1—क) विशिष्टतः और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई लाइसेंस उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित में से किसी आधार पर निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है, अर्थात् —

(क) लाइसेंस छल से अथवा दुर्यपदेशन से प्राप्त किया गया था; या

(ख) धारा 5 के अधीन, यथास्थिति, आवेदन-पत्र या अपील पर विचार करते समय, लाइसेंस प्राधिकारी या [अपील प्राधिकारी]⁵ ने किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में भूल की हो जो लाइसेंस देने या न देने के प्रश्न के सम्बन्ध में अत्यावश्यक हो; या

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1986 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 7(ख) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1989 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1995 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1995 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित। (बावत राज्य सरकार)

(ग) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियम के उपबंधों के अथवा लाइसेंस में अन्तर्विष्ट किन्हीं शर्तों अथवा निरोधों के, अथवा धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन का दोषी हो; या

(घ) लाइसेंस प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी परिवर्तन के हो जाने के कारण लाइसेंस का जारी रहना शोभनीयता अथवा नैतिकता के लिए अहितकर समझा जाता है; या

(ङ) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन अथवा सिनेमेट्रोग्राफ ऐक्ट, 1952 की धारा 7 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो;¹

(2) जब राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की राय हो कि धारा 5 के अधीन दिया हुआ लाइसेंस [***]² निरस्त कर देना चाहिये अथवा वापस ले लेना चाहिए तो तो वह यथाशीघ्र लाइसेंस गृहीता को वह आधार बतलायेंगे जिनके अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तथा उसे उसके विरुद्ध निवेदन-पत्र (Representation) प्रस्तुत करने का उचित, अवसर प्रदान करेंगे;

[प्रतिबन्ध यह है कि यदि, याथास्थिति, राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की अग्रेतर राय हो कि किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य विलम्ब के कारण पूरा नहीं हो सकेगा तो वह प्रस्तावित कार्यवाही करने के आधार को लाइसेंस गृहीता को उपर्युक्त प्रकार से बतलाते समय अथवा उसके उपरान्त लाइसेंस स्थगित करने का अन्तरिम आदेश अभ्यन्तर काल में दे सकता है।]³

(3) यदि निवेदन-पत्र पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, संतुष्ट हो कि लाइसेंस [***]⁴ निरस्त अथवा वापस होना चाहिए, तो यह तदनुसार, आज्ञा देगी और उसे तत्सम्बन्धी लिखित आधारों के साथ लाइसेंस गृहीता को बतलायेगी।

(4) यदि [उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन लाइसेंस स्थगित करने या उपधारा (3) के अधीन उसे निरस्त करने अथवा वापस लेने]⁵ की आज्ञा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, तो उक्त आज्ञा द्वारा क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति आज्ञा प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर [अपील प्राधिकारी]⁶ के पास अपील कर सकता है, जो ऐसी आज्ञा दे सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(5) [अपील प्राधिकारी]⁷ की आज्ञा अन्तिम (Final) होगी।

8[* * *]

8-क (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या अपराधों का विशेष आदेश के अधीन रहते हुए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, अपराध के लिये नियत जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निमुक्ति कर दिया जायगा,

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1974 की धारा 3 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त धारा 3 (2) (क) द्वारा निकाला गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1974 की धारा 3 (ii) (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 3 (iii) द्वारा निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 3 (iv) द्वारा निकाला गया।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1995 की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1995 की धारा 5 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 2026 की अनुसूची द्वारा निकाला गया।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति होगा।¹

9—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपराध होने के समय कम्पनी के समय कम्पनी का अवधायक (incharge) तथा कम्पनी के कार्य के संचालनार्थ कम्पनी के प्रति उत्तरदायी रहा हो तथा कम्पनी भी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दंडनीय न होगा।

कम्पनियों द्वारा
अपराध

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यह प्रमाणित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध के प्रतिरोध के लिए पर्याप्त श्रम किया है (Exercised all due dilligence) दंडनीय न होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम के अधीन अपराध करे और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति अथवा उपेक्षा (Consent or connivance) से अथवा किसी ऐसे अनवधानवश (neglect) हुआ है जो उस पर आरोप्य हो, तो उक्त डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा वह तदनुसार दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगम निकाय (body corporate) से है तथा इसके अन्तर्गत व्यवसायसंघ (firm) अथवा व्यक्तियों की अन्य संस्था (association) है, तथा

(ख) व्यवसाय संघ के सम्बन्ध में, डाइरेक्टर, का तात्पर्य व्यवसाय संघ के भागीदार (partner) से है।

10—राज्य सरकार, सामान्य जनता अथवा उसके किसी वर्ग के हित में, उन शर्तों और निरोधों के अधीन जिन्हें वह आरोपित करे, ²[किसी चलचित्र यंत्र या वीडियो द्वारा किसी प्रदर्शन के वर्ग या किसी वीडियो पुस्तकालय] को इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों के किसी उपबन्ध से लिखित आज्ञा द्वारा तथा उसके लिए कारण बतलाते हुए विमुक्त (exempt) कर सकती है।

विमोचन

11—(1) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के अधीन दी गई आज्ञा अथवा दी गई समझी गई आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी कार्य के विषय में कोई भी बाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit prosecution or legal proceeding) नहीं हो सकेगी।

इस अधिनियम के
अधीन किये गये
कार्यों का संरक्षण

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के अधीन दी गई अथवा दी गई समझी गई किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के कारण उत्पन्न क्षति (Damage) अथवा सम्भाव्य (likely) क्षति के सम्बन्ध में कोई बाद अथवा विधिक कार्यवाही न हो सकेगी।

12—(1) सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1918 के अधीन जहां तक इसका सम्बन्ध चल चित्र यंत्र की फिल्मों के प्रदर्शन की स्वीकृति से भिन्न विषयों से है, एतद्वारा उत्तर प्रदेश में जहां तक इसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, निरस्त (Repeal) किया जाता है।

निरसन
1918 की अधिनियम
संख्या 2

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1986 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1986 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1918 के अधीन ¹[बनाये गये नियम या दी गई कोई आज्ञा]¹ जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हों, प्रचलित रहेगी और उसे इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम या दी गई आज्ञा समझा जायगा। और ऐसे [किसी नियम या आज्ञा]¹ के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, दिये गये लाइसेंस, आरोपित शर्तें या निरोध (Conditions or restrictions) तथा प्रचारित आदेश जो उक्त प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हों, यथावत प्रचलित रहेंगे, और इस अधिनियम के अनुसार की गई, दिये गये आरोपित अथवा प्रचारित समझे जायेंगे।

1918 की
अधिनियम संख्या 2

13—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए ² [***] नियम बना सकती है।

नियम बनाने का
अधिकार

(2) पूर्वागामी अधिकार की सामान्यतया को बाधित न करते हुए इन नियमों में विशेषतः निम्नलिखित के निमित्त व्यवस्था की जा सकती है—

(क) उन स्थानों की स्थिति तथा उनके विनियमन जहां तथा वे शर्तें जिनके अधीन चल [चित्र यंत्र या वीडियो द्वारा प्रदर्शन किये जायेंगे या [वीडियो लाइब्रेरी]³ रखे जायेंगे।]⁴

[(कक) [दो लाख रुपये]⁵ से श्रमधिक के प्रशमन प्रभार का धारोपण जिसका भुगतान करने पर [चलचित्र या वीडियो]⁶ द्वारा प्रदर्शन के लिए उपयोग किये जाने वाले स्थल या भवन से संबंधित नियमों के उपबन्धों से धारा 10 के अधीन छूट दी जा सकती है।]⁷

(ख) [इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसों]⁸ के प्रदर्शन तथा नवीनीकरण (Renewal) के लिय आदेय शुल्क (Fees to be levied),

(ग) स्थानों, विद्युत तथा अन्य उपकरणों (appliances) एवं प्रतिष्ठानों (installation) के निरीक्षण शुल्क।

(घ) प्रतिबन्ध, शर्तें तथा निरोध जिनके अधीन लाइसेंस दिये जाये।

(ङ) विद्युत उपकरणों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण।

(च) अवधि और शर्तें (Condition) जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

⁹ [(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल 30 दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।]

¹⁰ **[13—(क)** उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा विधिमाम्यकरण और व्यावृत्ति यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध, उक्त अधिनियम सन 2017 के प्रारम्भ होले के पूर्व, लम्बित आवेदन पत्रों और स्थायी भवन निर्माण हेतु दिये गये अनुमोदन तथा प्रदान किये गये लाइसेंस के लिये भी लागू होंगे।]

विधिमाम्यकरण और
व्यावृत्ति

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1974 की धारा 4 के द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (क) द्वारा निकाला गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1986 की धारा 9(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2018 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 2009 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1989 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1986 की धारा 9(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
9. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
10. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं 7, 2018 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।